प्रकाशन हेतु अनुमोदित

बिलासपुर छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (एस) संख्या 163/2008

याचिकाकर्तागण: शशि भूषण पटेल एवं अन्य।

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

रिट याचिका (एस) संख्या 161/2008

याचिकाकर्तागण: मोहम्मद ज़हीर अब्बास और अन्य।

बनाम

उत्तरवादिगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

रिट याचिका (एस) संख्या 309/2008

याचिकाकर्ता: रामाधार यादव

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

रिट याचिका (एस) संख्या 453/2008

याचिकाकर्ता: राम आश्रय चंद्र

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

23 अक्टूबर, 2010 को निर्णय उद्घोषणा हेतु सूचीबध करे। सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

<u>बिलासपुर छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (एस) संख्या 163/2008</u>

<u>याचिकाकर्तागण</u>: शशि भूषण पटेल एवं अन्य।

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u>: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

<u>रिट याचिका (एस) संख्या 161/2008</u>

<u>याचिकाकर्तागण</u>: मोहम्मद ज़हीर अब्बास और अन्य।

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u>: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

<u>रिट याचिका (एस) संख्या 309/2008</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>याचिकाकर्ता</u>: रामाधार यादव

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u>: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

<u>रिट याचिका (एस) संख्या 453/2008</u>

<u>याचिकाकर्ता</u>: राम आश्रय चंद्र

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u>: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका</u>

उपस्थित:

श्री बी.डी.गुरु, श्री आशीष सुराणा, श्री आनंद दादरिया, संबंधित याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री एम.पी.एस.भाटिया, राज्य के उप शासकीय अधिवक्ता।

श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता -जनपद पंचायत, सारंगढ़ की ओर से।

श्री आर.के.केशरवानी, एडवोकेट उत्तरवादी-जनपद पंचायत, जैजैपुर की ओर से।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एकल पीठ:श्री सतीश के अग्निहोत्री, न्यायाधीश।

निर्णय

(23 अक्टूबर, 2010 को उद्घोषित)

1. याचिकाओं का यह समूह अर्थात रिट याचिका (एस) संख्या 163/2008, रिट याचिका (एस) संख्या 161/2008, रिट याचिका (एस) संख्या 309/2008 और रिट याचिका (एस) संख्या 453/2008 में विधि का एक सामान्य प्रश्न शामिल है कि क्या कानून के प्रचलित प्रावधानों अर्थात छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1997 (संक्षेप में 'नियम, 1997) के तहत विज्ञापन के अनुसार शुरू की गई चयन प्रक्रिया को अंतिम चयन सूची के प्रकाशन और उसके चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति से पहले छोड़ा/बंद किया जा सकता है।

2. संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 163/2008 और 161/2008।

शिक्षाकर्मी ग्रेड III के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 22.12.2006 (अनुलग्नक पी/1) और 13.03.2007 (अनुलग्नक पी/2) के विज्ञापन के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने अन्य लोगों के साथ आवेदन किया। इसके बाद, चयन प्रक्रिया शुरू हुई। 16.11.2007 को एक अनंतिम चयन सूची तैयार की गई (अनुलग्नक पी/4) जिसे चयन समिति ने अनुमोदित किया। चयन समिति ने अपनी दिनांक 17.11.2007 की बैठक [रीट याचिका (एस) क्रमांक 163/2008 का अनुलग्नक पी/3] और [रीट याचिका (एस) क्रमांक 161/2008 का अनुलग्नक पी/7] में शेष रूप से उल्लेख किया गया है कि चयन समिति ने अनंतिम चयन सूची और प्रतीक्षा सूची को मंजूरी दे दी है और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के बाद, उनके प्रमाणपत्र सत्यापित किए जा सकते हैं और इस घटना में, यह पाया जाता है कि प्रशंसापत्र जाली थे, नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, काउंसलिंग की तारीख 27.11.2007 से 29.11.2007 तक तय की गई थी। इसी बीच, अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने और नियुक्ति आदेश जारी होने से पहले, छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2007 (संक्षेप में 'नए नियम, 2007') अधिसूचित किए गए थे, जो राज्य के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हुए थे यानी 29.11.2007 को। नियम, 1997 के प्रावधानों के तहत शुरू की गई चयन प्रक्रिया को छोड़ दिया गया था। इस प्रकार, व्यथित होने के कारण, याचिकाकर्ताओं ने यह याचिका दायर की है।

रिट याचिका (एस) संख्या 309/2008 और 453/2008,

शिक्षाकर्मी ग्रेड III के पद पर नियुक्ति के लिए 25.03.2006 (अनुलग्नक पी/1), 29.06.2006 (अनुलग्नक पी/2) और 10.06.2006 (अनुलग्नक पी/3) दिनांकित विज्ञापनों के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं ने अन्य लोगों के साथ आवेदन किया। इसके बाद, चयन प्रक्रिया शुरू हुई।

28.11.2007 (अनुलग्नक पी/4) को एक अनंतिम चयन सूची तैयार की गई, जिसे चयन समिति ने अनुमोदित किया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चयन समिति ने अपनी 28.11.2007 (अनुलग्नक पी/5) की बैठक में नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्णय लिया। इस बीच, अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने और नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकें, इसके लिए नए नियम, 2007 अधिसूचित किए गए जो राज्य राजपत्र में प्रकाशन की तिथि अर्थात 29.11.2007 (अनुलग्नक पी/6) से प्रभावी हो गए। नियम, 1997 के प्रावधानों के तहत शुरू की गई चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। अतः व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने यह याचिका प्रस्तुत की है।

3. संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.डी.गुरु, श्री आशीष सुराना, श्री आनंद दादरिया ने निवेदन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि एक बार प्रचलित नियमों, अर्थात इस मामले में नियम, 1997 के प्रावधानों के तहत चयन प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, इसे बाद में नए नियमों, अर्थात नियम, 2007 के लागू होने से अभिखंडित या आपस्त नहीं किया जा सकता है, कोई बाद में जिसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। विद्वान अधिवक्तआ ने आगे निवेदन किया कि वर्तमान प्रकरण में में चयन प्रक्रिया पूरी हो गई थी यहां तक कि अनंतिम चयन सूची भी तैयार की गई थी, क्योंकि इसे चयन समिति ने मंजूरी दे दी थी। केवल नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जा सका। इस बीच, नए नियम, अर्थात नियम, 2007 प्रभावी हो गए जो स्पष्ट रूप से यह प्रदान करते हैं कि यह राज्य राजपत्र में प्रकाशन की तिथि, अर्थात 29.11.2007 से प्रभावी होंगे। अंत: उत्तरवादीगण द्वारा नियुक्ति आदेशों को जारी ना किए संबंधी कार्यवाही को स्थिर नहीं रखा जा सकता एवं क़ानून की धृष्टि से ग़लत है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. दूसरी ओर, संबंधित जनपद पंचायतों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव और श्री आर.के.केशरवानी ने निवेदन किया कि दिनांक 22.12.2006 और 13.03.2007 के विज्ञापन के तहत चयन पूरे नहीं हो सका क्योंकि कोई अंतिम चयन सूची प्रकाशित नहीं हुई थी। चयन प्रक्रिया के दौरान, नए नियम, 2007 प्रभावी हो गए और इस प्रकार, पुराने नियम, 1997 के तहत शुरू की गई चयन प्रक्रिया को छोड़ दिया गया और नए नियम, 2007 के आधार पर नए चयन के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया। चूँकि चयन पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उत्तारवादीगण-प्राधिकारीगण चयन को अभिखंडित करने के लिए पूरी तरह सक्षम थे और इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने अनंतिम चयन सूची के आधार पर शिक्षाकर्मी ग्रेड III के पद पर नियुक्ति के लिए कोई भी अविभाज्य अधिकार प्राप्त नहीं किया है।

5. राज्य के विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री भाटिया चयन प्रक्रिया को अभिखंडित करने की कार्रवाई के समर्थन में संबंधित जनपद पंचायतों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों को स्वीकार किया है।

6. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

7. इस न्यायालय ने 10.01.2008 को [डबल्यू.पी.एस 163/2008 और 161/2008 में], 16.01.2008 को [डबल्यू.पी.एस संख्या 309/2008 में] और 22.01.2008 को [डबल्यू.पी.एस 453/2008 में निर्देश

दिया था कि क्रमशः 22.12.2006, 13.03.2007 और 25.03.2006 के विज्ञापनों के अनुसार अनुपालन में रिक्तियों को अगली सुनवाई की तारीख तक नहीं भरा जाए। संबंधित जनपद पंचायतों के विद्वान अधिवक्ताओं के अनुसार, नियुक्ति के लिए अभी भी रिक्तियाँ उपलब्ध हैं।

8. यह निर्विवाद है कि चयन प्रक्रिया नियम, 1997 के प्रावधानों के तहत शुरू हुई। यह भी विवाद में नहीं है कि 16.11.2007 को एक अनंतिम चयन सूची (डब्ल्यू.पी.(एस) सं. 163/2008 के अनुलग्नक पी/4) तैयार की गई थी। उक्त चयन सूची को चयन समिति द्वारा 17.11.2007 को विधिवत अनुमोदित किया गया था (डब्ल्यू.पी.(एस) सं. 163/2008 के अनुलग्नक पी/3)। रिट याचिका (एस) सं. 309/2008 और 453/2008 के मामले में, एक अनंतिम सूची तैयार की गई थी और चयन समिति द्वारा 28.11.2007 को अनुमोदित की गई थी। इसके बाद, कोई अंतिम चयन सूची प्रकाशित नहीं की गई और नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए। चयन समिति ने अनंतिम चयन सूची को मंजूरी देने के बाद नियुक्ति आदेश जारी करने और नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने का निर्देश दिया। इस प्रकार, यह निर्विवाद रूप से अभिनिर्धारित किया जाता है कि चयन समिति द्वारा अनंतिम चयन सूची के अनुमोदन के बावजूद अंतिम चयन सूची प्रकाशित नहीं की गई। परिणामस्वरूप, कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जा सका।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. इस प्रकार, इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि, प्रथमतः, क्या याचिकाकर्ताओं ने अनुमोदित अनंतिम चयन प्रक्रिया के आधार पर नियुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लिया है, जब चयन प्रक्रिया को नए नियम, 2007 के लागू होने के कारण छोड़ दिया गया था। द्वितीयतः, क्या नियोक्ता (राज्य या उसकी एजेंसियां) चयन प्रक्रिया को पूरा किए बिना उसे अभिखंडित कर सकते हैं।

10. इस संदर्भ में, विधि का सिद्धांत सर्वविदित है कि राज्य सरकार बाद की तिथि में योग्यताओं में संशोधन करके या सेवा नियमों में संशोधन करके या नए नियम लागू करके चयन प्रक्रिया के क्रम को तोड़ सकती है। अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने तक चयन प्रक्रिया को पूर्ण नहीं माना जा सकता। प्रस्तुत मामले में, इसमें कोई विवाद नहीं है कि अनंतिम चयन सूची को मंजूरी दी गई थी, लेकिन नए नियम, 2007 के लागू होने से पहले कोई अंतिम सूची प्रकाशित नहीं की गई थी और सरकार ने तत्काल चयन प्रक्रिया के क्रम को तोड़ और नए नियम, 2007 के प्रावधानों के तहत शिक्षाकर्मी, ग्रेड III के पद पर नियुक्ति के लिए एक नया विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया।

11. *जय सिंह दलाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य*[1] मामले में, जिसमें समान तथ्य विचाराधीन थे, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

> "7. *शंकरन दाश बनाम भारत संघ* मामले में हाल ही में दिए गए निर्णय में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने दोहराया कि यदि नियुक्ति के लिए कई रिक्तियाँ अधिसूचित की जाती हैं और पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार योग्य पाए

[1] 1993 सप्प (2) एस.सी.सी 600

जाते हैं, तो भी सफल उम्मीदवारों को मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति का कोई अविभाज्य अधिकार प्राप्त नहीं होता। यह बताया गया कि सामान्यतः अधिसूचना केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण मात्र होती है और उनके चयन पर उन्हें पद पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। राज्य का यह कोई कानूनी दायित्व नहीं है कि वह उस उद्देश्य के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति करके सभी या किसी भी रिक्ति को भरे। हालाँकि, राज्य को सद्भावनापूर्वक कार्य करना चाहिए और अपनी शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्वक या मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। संविधान पीठ ने सुभाष चंद्र मामले में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय का अनुमोदन किया। अतः, यह विधि स्थापित है कि नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों को भी नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है और राज्य सरकार किसी भी आगामी तिथि तक रिक्तियों को न भरने के लिए स्वतंत्र है या तो पदों को भरने के लिए नए सिरे से चयन और संशोधित मानदंडों पर नियुक्ति का सहारा लेना होगा।"

12. *मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम रघुवीर सिंह यादव एवं अन्य*[2] मामले में, जिसमें चयन प्रक्रिया के दौरान, मध्य प्रदेश बाट एवं माप मानक (प्रवर्तन) नियम, 1989 के तहत योग्यता में परिवर्तन किया गया था, सरकार ने पहले की अधिसूचना वापस ले ली और नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"5. यह स्थापित कानून है कि राज्य को भर्ती के लिए योग्यताएँ निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। यहाँ एक मामला है कि संशोधित नियमों के अनुसार, सरकार ने पिछली अधिसूचना वापस ले ली है और नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। यह किसी अर्जित अधिकार का मामला नहीं है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उन्हें केवल यह वैध उम्मीद थी कि तत्कालीन प्रचलित नियमों के अनुसार उनके दावों पर विचार किया जाएगा। संशोधित नियम केवल भावी प्रभाव के लिए हैं। सरकार परिवर्तित नियमों के अनुसार चयन करने और अंतिम भर्ती करने की हकदार है। स्पष्ट रूप से किसी भी उम्मीदवार ने राज्य के विरुद्ध कोई निहित अधिकार अर्जित नहीं किया है। इसलिए, राज्य उस अधिसूचना को वापस लेने का हकदार है जिसके द्वारा उसने पहले भर्ती की अधिसूचना जारी की थी और संशोधित नियमों के आधार पर उस संबंध में नई अधिसूचना जारी करने का हकदार है।"

13. *रघुवीर सिंह यादव* मामले में निर्धारित अनुपात था, जिसे *राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम चानन राम*[3] एवं अन्य मामले में संधर्बित एवं अनुमोदित किया गया था।

14. *अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ एवं अन्य बनाम ए. आर्थर जीन एवं अन्य*[4] में सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय में,

---

[2] 1994 6 एस.सी.सी 151

[3] 1998 4 एस.सी.सी 202

[4] 2001 6 एस.सी.सी 380

"10. केवल इसलिए कि उम्मीदवारों के नाम पैनल में शामिल थे उनके अनंतिम चयन के आधार पर, उन्हें मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध भी नियुक्ति का कोई अपरिवर्तनीय अधिकार प्राप्त नहीं हुआ और राज्य पर शंकरसन दाश बनाम भारत संघ के पूर्ववर्ती मामलों का संदर्भ देते हुए, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सभी या किसी भी रिक्ति को भरने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है। उक्त निर्णय का पैरा 7 इस प्रकार है: (एससीसी पृष्ठ 50-51)

> "7. यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए कई रिक्तियाँ अधिसूचित की जाती हैं और पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं, तो सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति का एक अविभाज्य अधिकार प्राप्त हो जाता है जिसे वैध रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सामान्यतः अधिसूचना केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण मात्र होती है और उनके चयन पर उन्हें पद पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। जब तक संबंधित भर्ती नियमों में ऐसा न कहा गया हो, राज्य पर सभी या किसी भी रिक्तियों को भरने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है। हालाँकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य को मनमाने ढंग से कार्य करने का अधिकार है। रिक्तियों को न भरने का निर्णय उचित कारणों से सद्भावपूर्वक लिया जाना चाहिए। और यदि रिक्तियाँ या उनमें से कोई भी भरी जाती है, तो राज्य उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि भर्ती परीक्षा में दर्शाया गया है, और किसी भी प्रकार के भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस न्यायालय द्वारा इस सही स्थिति का लगातार पालन किया गया है, और हमें हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाह, नीलिमा शांगला बनाम हरियाणा राज्य या जतिंदर कुमार बनाम पंजाब राज्य के निर्णयों में कोई असंगत टिप्पणी नहीं मिलती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. श्री श्रीवास्तव द्वारा *ए.पी. राज्य एवं अन्य बनाम डी. दस्तगिरी एवं अन्य*[5] मामले में, तथ्य यह थे कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया, लेकिन चयन सूची के प्रकाशन से पहले, राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के सरकारी निर्णय के मद्देनजर, आबकारी कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई। साक्षात्कार का परिणाम घोषित नहीं किया गया था, प्रश्न यह है कि क्या अंतिम परिणाम प्रकाशित किए बिना सूची में चयन को पूर्ण माना जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "4...चयन सूची के प्रकाशन के अभाव में, हमारा मानना है कि चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। बहरहाल, भले ही चयन प्रक्रिया पूरी हो गई हो और यह मानते हुए कि केवल चयन सूची प्रकाशित होना बाकी है, इससे उत्तरवादीगण का पक्ष मजबूत नहीं होता, क्योंकि जिन उम्मीदवारों का चयन हो जाता है और जिनके नाम चयन सूची में शामिल हो जाते हैं, उन्हें भी चयन सूची के आधार पर नियुक्ति का दावा करने का अधिकार नहीं मिलता। राज्य सरकार के पास राज्य में मद्यनिषेध लागू करने या न करने का नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार था। निस्संदेह, सरकार को नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार था। यदि राज्य में मद्यनिषेध लागू करने के नीतिगत निर्णय के तहत आबकारी विभाग में कांस्टेबलों की भर्ती की आवश्यकता नहीं थी, तो कोई भी

[5] 2003 5 एस.सी.सी 373

यह आग्रह नहीं कर सकता कि वे उम्मीदवारों को आबकारी कांस्टेबल के रूप में नियुक्त करें। उत्तरवादीगण का यह दावा नहीं है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्तरवादीगण को नियुक्ति देने से इनकार करने में अपीलकर्ताओं की ओर से कोई दुर्भावना थी। उनका एकमात्र दावा यह था कि उत्तरवादीगण को आबकारी कांस्टेबल के रूप में नियुक्त न करने का अपीलकर्ताओं का कार्य कांस्टेबलों की नियुक्ति मनमाना था। ऊपर बताए गए तथ्यों के आलोक में, जब सरकार के पास नीतिगत निर्णय लेने का विकल्प खुला था, तो हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उत्तरवादीगण उनकी कार्रवाई को मनमाना कैसे कह सकते हैं, खासकर तब, जब उन्हें नियुक्तियों का दावा करने का कोई अधिकार ही नहीं था।"

16. मदन मोहन शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य[6] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

"11.... एक बार जब उस विशेष समय पर प्राप्त परिपत्र के आधार पर विज्ञापन जारी कर दिया गया, तो इसका प्रभाव यह होगा कि चयन प्रक्रिया निर्धारित मानदंडों के आधार पर जारी रहनी चाहिए और यह बाद में बनाए गए मानदंडों के आधार पर नहीं हो सकती।

12. दिनांक 24-7-1995 को विज्ञापन जारी होने के समय प्राप्त परिपत्र के अनुसार, शिक्षक ग्रेड III के पद पर चयन के लिए मानदंड माध्यमिक परीक्षा थी, हालांकि इसमें परिवर्तन किया गया था िज्ञापन का लंबित होना। नियमों में बाद में किया गया संशोधन, जो कि भविष्यसूचक था, पूर्वव्यापी नहीं बनाया जा सकता ताकि बाद में संशोधित नियमों के आधार पर चयन किया जा सके। यदि ऐसा किया जाना था, तो एकमात्र रास्ता 1996 के विज्ञापन संख्या 1 को वापस लेना और लागू नियमों के अनुसार नए विज्ञापन जारी करना था। दूसरे, ऐसा नहीं किया गया और अधिकारियों ने गलती से संशोधित नियमों को लागू कर दिया और चयन प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमा हुआ और अंततः राधेश्याम शर्मा उस मुकदमे में सफल रहे और यह माना गया कि चयन माध्यमिक परीक्षा के अंकों के अनुसार किया जाना चाहिए, जो कि विज्ञापन जारी होने के समय प्रचलित मानदंड था।“

17. *सुभा बी. नायर एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य*[7] मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जिसका अवलंब श्री श्रीवास्तव ने अपने इस तर्क के समर्थन में लिया कि रिक्ति को भरना या न भरना नियोक्ता पर निर्भर है और भेदभाव, मध्यस्थता या दुर्भावना के अभाव में रिट न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है, वर्तमान मामलों के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, अंतिम चयन सूची प्रकाशित नहीं की गई थी और किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया था।

---

[6] 2008 3 एस.सी.सी 724

[7] 2008 7 एस.सी.सी 210

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. *मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम संजय कुमार पाठक एवं अन्य* [8]मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"24. पित्त नवीन कुमार बनाम राजा नरसैया ज़ंगिटी में इस न्यायालय ने टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 273, पैरा 32)

"32. इस संबंध में प्राप्त कानूनी स्थिति विवाद में नहीं है। किसी उम्मीदवार को नियुक्त होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार उसे केवल इस पर विचार किए जाने का अधिकार है। यद्यपि किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार के मामले पर विचार सामान्यतः मौजूदा नियमों के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक है, लेकिन ऐसे मामले में इनका कड़ाई से पालन आवश्यक होगा जहाँ नियम केवल अहितकर हों संबंधित उम्मीदवारों के लिए और अन्यथा नहीं।"

इस प्रकार की स्थिति में, चयन सूची के अभाव में राज्य द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती। राज्य स्वयं को चयन समिति के स्थान पर नियुक्त नहीं कर सकता।

25. इसके अलावा, सामान्यतः रिट न्यायालय को किसी कानूनी अधिकार के अभाव में केवल सहानुभूति के आधार पर कार्य नहीं करना चाहिए।"

19. इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने *एस.एस.बालू एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य*[9] मामले में *संजय कुमार पाठक* मामले में प्रतिपादित अनुपात को दोहराया।

20. वर्तमान मामलों के तथ्यों पर पूर्वोक्त विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, जहाँ चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद नए नियम, 2007 द्वारा योग्यता में परिवर्तन करने के बाद चयन सूची प्रकाशित नहीं की गई थी। अर्थात् चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद नए नियम 2007 के लागू होने के आधार पर चयन प्रक्रिया को छोड़ दिया गया था, और इस प्रकार, नियम, 1997 के अंतर्गत नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने वाले प्रारंभिक विज्ञापन वापस ले लिए गए और नए नियम, 2007 के अंतर्गत भर्ती के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया। इस प्रथा को गलत नहीं ठहराया जा सकता। राज्य सरकार और उसकी एजेंसी पूर्वोक्त स्थिति में चयन प्रक्रिया को छोड़ने या क्रम तोड़ने के लिए सक्षम है।

21. ऊपर उल्लिखित कारणों और विश्लेषण के आधार पर, उपरोक्त सभी रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

22. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

---

[8] 2008 1 एस.सी.सी 456

[9] 2009 2 एस.सी.सी 479

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Aman Ansari,Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur